भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2992

उत्तर देने की तारीख : 18.12.2025

सीजीटीएमएसई के अंतर्गत ऋण संस्थान

2992. डॉ. भोला सिंह :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सहकारी संस्थाएं/बैंक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत सदस्य क्रेडिट संस्थाएं बन सकती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत सहकारी बैंक संभावित रूप से प्राप्त करने वाले गारंटी कवर सीमा के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सहकारी समिति के सदस्य को उक्त योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत सहकारी बैंक सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एमएलआई) के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु पात्र है। दिनांक 30.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार, सीजीटीएमएसई के तहत, 139 सहकारी बैंक एमएलआई के रूप में पंजीकृत है।

(ख) : सहकारी बैंकों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रदान किए गए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज की सीमा 75% से 90% तक है। सहकारी बैंकों के लिए प्रति उधारकर्ता गारंटी की अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपए है।

(ग) : सहकारी समितियों के सदस्य, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सम्मिलित कार्यों के लिए एमएलआई से प्राप्त किए गए ऋण के संबंध में सीजीटीएमएसई के तहत अपनी व्यक्तिगत क्षमता में गारंटी कवरेज हेतु पात्र हैं।

*****